



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.01.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 10/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

आशीष पुत्र सोनू निवासी बंथला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 01 मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 816 शौकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 914 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 06.01.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 02/26 धारा 67 IT एक्ट व मु0अ0सं0 3/26 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन तथा चोरी किए हुए 01 जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु), 02 कड़े बच्चों के (सफेद धातु), 01 कोंदनी बच्चे की (सफेद धातु), 04 अंगूठी (सफेद धातु), 10 बिछिया (सफेद धातु) व चोरी किए रुपयों में से 2015 रुपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

1. दिनांक 05.01.2026 को थाना बिनौली पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त अरसद पुत्र चाँद निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी की पत्नी के अश्लील वीडियो व फोटो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़कर एडिट किए गए तथा उक्त आपत्तिजनक सामग्री को इंस्टाग्राम आई.डी. goat.12963221 से प्रसारित/अपलोड किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 02/26 धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



2. दिनांक 05.01.2026 को थाना बिनौली पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 30.12.2025 को अभियुक्त अरसद पुत्र चाँद निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादिया के घर में रखे संदूक को खोलकर उसमें रखे जेवरात, जिसमें चाँदी के 11 तथा सोने के 6 आभूषण एवं

नगद ₹10,000/- घर से चोरी कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 03/26 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 02/26 धारा 67 IT एक्ट व मु0अ0सं0 3/26 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन तथा चोरी किए हुए 01 जोड़ी कान की बाली (पीली धातु), 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु), 02 कड़े बच्चों के (सफेद धातु), 01 कोंदनी बच्चे की (सफेद धातु), 04 अंगूठी (सफेद धातु), 10 बिछिया (सफेद धातु) व चोरी किए रुपयों में से 2015 रुपये बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरसद पुत्र चांद निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- 01 मोबाइल फोन
- 01 जोड़ी कान की बाली (पीली धातु),
- 02 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु),
- 02 कड़े बच्चों के (सफेद धातु),
- 01 कोंदनी बच्चे की (सफेद धातु),
- 04 अंगूठी (सफेद धातु), 10 बिछिया (सफेद धातु)
- चोरी किए रुपयों में से 2015 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. है0का0 720 यशपालसिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
4. है0का0 648 चौबसिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
5. का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 06.01.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत (@SurajRai_IPS) के निर्देशन में थाना बड़ौत पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter (X) पर एक युवती की AI तकनीक का दुरुपयोग कर अश्लील (मॉर्फ़) तस्वीरें बनाकर सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

अवगत कराना है कि दिनांक 04-01-2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter (X) पर एक युवती द्वारा शिकायत की गई थी कि Amit Bidla नामक आईडी से संचालित अकाउंट द्वारा उसकी फोटो को बिना अनुमति के उठाकर AI तकनीक का दुरुपयोग करते हुए अश्लील (मॉर्फ़) फोटो में संपादित किया गया तथा उक्त आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित/वायरल किया गया।

कार्यवाही- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत (@SurajRai_IPS) के निर्देशन में सोशल मीडिया सेल द्वारा उक्त शिकायत के सम्बन्ध में साइबर सेल बागपत को अवगत कराया गया, जिसके उपरांत साइबर सेल बागपत द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए तकनीकी जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान संबंधित ट्विटर (X) अकाउंट का तकनीकी विश्लेषण कर अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित की गई। जांचोपरांत प्रकरण को थाना बड़ौत के संज्ञान में लाया गया, जहाँ से त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक अथवा मर्यादा-विरुद्ध पोस्ट/फोटो/वीडियो, विशेषकर AI तकनीक का दुरुपयोग कर फोटो को अश्लील (मॉर्फ़) स्वरूप में संपादित कर, प्रसारित या वायरल न करे। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित कुमार पुत्र मोहनपाल निवासी ग्राम पुषार थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 आशुतोष दुबे थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 06.01.26

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता -

युसुफ पुत्र शमशेर निवासी सुठियाना थाना पड़वा/निघासन जनपद लखीमपुर खीरी हाल पता मौहल्ला शेखपुरा करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त युसुफ आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 100/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पदुआ जनपद लखीमपुर खीरी ।
2. मु०अ०सं० 249/22 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 250/22 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. मु०अ०सं० 255/22 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत । ।
5. मु०अ०सं० 461/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. है०का० 875 प्रवेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

